

उच्च न्यायालय ने नवीन पोर्टल लॉन्च किये

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने डैशबोर्ड, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिसिम, लोक सेवा केंद्र (LSK) के साथ ई-कोर्ट सेवा, ज़िला न्यायालय रपिपोर्टिंग सिसिम, उच्च न्यायालय के मोबाइल ऐप संस्करण 2.0 की लॉन्चिंग और हिन्दी में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर पुस्तिका का वमिोचन किया ।

प्रमुख बडिु

- इस अवसर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने कहा कि कार्य-प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के लिये 'डैशबोर्ड' और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिसिम लॉन्च किये गए हैं । इन वभिन्न ऑनलाइन सिसिम में **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** का इस्तेमाल कार्यों को गति प्रदान करेगा । उच्च न्यायालय को वादियों और अधिवक्ताओं को ई-कोर्ट सेवाओं में सुधार के लिये बेहतर आउटपुट एवं नरिणय लेने की प्रकरिया हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा ।
- इसी तरह लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ई-कोर्ट सेवा का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सभी हतिधारकों के लिये ई-कोर्ट सेवाओं का एकीकरण पूरा कर लिया गया है । राज्य सरकार के आईटी वभिग और उच्च न्यायालय की आईटी टीम द्वारा '**लोक सेवा केंद्र**' के साथ इसका संचालन किया जाएगा ।
- उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ज़िला न्यायालय रपिपोर्टिंग प्रणाली संचालित होगी । इसमें राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय स्तर पर उपयोग के लिये वभिन्न रपिपोर्टों की सुवधि ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी ।
- इसके साथ ही, इसमें लंबति प्रकरण, खतम हो चुके प्रकरण, खतम हो चुके प्रकरणों से संबंधित सारी रपिपोर्ट, लंबति प्रकरणों की माहवार और श्रेणीवार जानकारी, पॉक्सो और शीलभंग संबंधी रपिपोर्ट, केस क्लियरेंस रपिपोर्ट, डिसि्ट्रकिवाइस पेंडेंसी रपिपोर्ट, इत्यादि सभी जानकारीयें इलेक्ट्रॉनिकीली उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान सॉफ्टवेयर में किये गए हैं ।
- मोबाइल ऐप वरजन 2.0 में ज़िला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों की केस संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी । इसकी मदद से उपयोगकर्त्ता/हतिधारक उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालयों के ऑनलाइन न्यायालय शुल्क/प्रतलिपि शुल्क का भुगतान आसानी से कर सकते हैं । उल्लेखनीय है कि मार्च, 2021 के पहले सप्ताह के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा हतिधारकों के लिये मोबाइल ऐप संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया था ।
- हिन्दी भाषी राज्यों के ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिये 'हिन्दी' भाषा में CIS 3.2 सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्त्ता मैनुअल जारी किया गया है । इससे केस प्रबंधन को समझने में आसानी होगी । साथ ही सॉफ्टवेयर का संचालन भी आसान होगा ।